भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3009

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

पेराम्बलूर में पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

3009. **श्री अरुण नेहरूः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के पेराम्बलूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत संवितरित कुल वित्तीय राजसहायता और मार्जिन मनी का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेराम्बलूर जिले में स्थानीय युवाओं और महिला उद्यमियों द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित की गई नई कृषि-आधारित और कपड़ा निर्माण सूक्ष्म इकाइयों की विशिष्ट संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवेदनों की उच्च अस्वीकृति दर या संपार्श्विक की अत्यधिक मांगों को नोट किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इन पीएमईजीपी-वित्त पोषित उद्यमों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सृजित कुल औपचारिक रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेराम्बलूर के ग्रामीण ब्लॉकों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और लक्षित उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तमिलनाडु के पेराम्बलूर लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत 5.66 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी संवितरित की गई है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान, पेराम्बलूर जिले में स्थानीय युवाओं सहित उद्यमियों द्वारा कृषि-आधारित उद्योगों के तहत 26 सूक्ष्म उद्यम और वस्त्र विनिर्माण के तहत 1 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं। इनमें से उक्त अवधि के दौरान कृषि आधारित सेक्टर में महिला उद्यमियों द्वारा 9 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए थे।

(ग): मंत्रालय ने पीएमईजीपी के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अत्यधिक संपार्श्विक मांगें या असामान्य रूप से उच्च अस्वीकृति दरें नहीं पाई गई हैं। एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा। सभी वित्तपोषण बैंकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे इस उपबंध का सख्ती से अनुपालन करें। दूसरी ओर, पिछले तीन वर्षों में अस्वीकृति दर 52% से घटकर 46% रह गई है, जो स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कीम के कार्यान्वयन में हुए सुधार को दर्शाती है।

(घ): विगत तीन वर्षों के दौरान पेराम्बलूर लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र में पीएमईजीपी सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से लगभग 3,105 व्यक्तियों को टिकाऊ रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

(ङ): तमिलनाडु के पेराम्बलूर के ग्रामीण ब्लॉकों सहित देश भर में पीएमईजीपी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और लक्षित उद्यमिता जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पीएमईजीपी पोर्टल को समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसे जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण करने वाले बैंकों से एकीकृत किया गया है। इससे आवेदकों को आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी प्रदान करने को सुव्यवस्थित किया गया है।
ii. संभावनाशील लाभार्थियों को तत्क्षण सहायता और पथ-प्रदर्शन सहायता के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है।
iii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
iv. संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।
